सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –12.02.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 07 अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम- थाना कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 1244/11 (वाद संख्या – 187/2012) धारा 304/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भादवि बनाम 1- सचिन शुक्ला 2- गोविन्द शुक्ला पुत्रगण रामशंकर शुक्ला 3- सीताशरण मिश्रा पुत्र रामेश्वर दयाल 4- बडे लल्ला पुत्र रामेश्वर दयाल नि0गण मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम उरई, जनपद जालौन द्वारा समस्त 04 अभियुक्तगण को 325/34, 323/34, 504, 506 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 8,000-8,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 1244ए/11 (वाद संख्या – 129/2018) धारा 147/323/149/504/506 भादवि बनाम 1-अरूण कुमार शुक्ला पुत्र विजय शंकर शुक्ला 2- शिवा शुक्ला पुत्र प्रदीप कुमार शुक्ला 3- छुट्टन चतुर्वेदी पुत्र विष्णू 4- प्रदीप शुक्ला पुत्र विजय शंकर शुक्ला(मृत्यु हो चुकी है) नि0गण मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम उरई, जनपद जालौन द्वारा 03 अभियुक्तगण को 147/323/149/504/506 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 3,000-3,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।